<u>स्टाफ अनुमोदन नियमावली</u>

महाविद्यालय स्तर

रिक्तियों अनुसार विज्ञापन (एक राज्यस्तरीय एवं एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में)

|

प्राप्त आवेदन में पात्रता रखने वाले आवेदकों की सूची तैयार करना

|

वि.वि. में अनुमोदन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन एवं नियमानुसार शुल्क मय जीएसटी प्रति विषय/प्रतिपद जमा करवाकर पेनल प्राप्त करना

|

प्राप्त पेनल से साक्षात्कार करवाना

|

साक्षात्कार उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का महाविद्यालय की प्रबन्धक संस्था में अनुमोदन करवाना

|

अनुमोदन प्रतिवेदन मय चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज एवं शपथ पत्र के वि. वि. में चयन प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करना

|

वि. वि. द्वारा चयनित एवं प्रमाणित अभ्यर्थी के महाविद्यालय छोड़ने पर तत्काल विश्वविद्यालय में सूचना प्रेषित करना

<u>स्टाफ अनुमोदन नियमावली</u>

विश्वविद्यालय स्तर

पैनल निर्धारण - विश्वविद्यालय द्वारा राजकीय महाविद्यालय के आचार्यो, सह आचार्यो एवं सहायक आचार्यो एवं आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयके बाहर से भी आचार्यो को सम्मिलित कर पेनल बनाया जाएगा

|

चयन समिति-

शिक्षक- पद हेतु एक विश्वविद्यालय प्रतिनिधि एवं एक विषय विशेषज्ञ तथा एक संस्था प्रतिनिधि (संस्था द्वारा निर्धारित) का पेनल रहेगा।

प्राचार्य - पद हेतु विश्वविद्यालय प्रतिनिधि , दो वरिष्ठ आचार्य एवं संस्थान पदाधिकारी अध्यक्ष या सचिव की चयन समिति रहेगी.

|

महाविद्यालय द्वारा पेनल हेतु प्रस्तुत आवेदन एवं शुल्क प्राप्ति पर निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पैनल उपलब्ध कराना

|

महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उपरान्त चयनित शिक्षको/ प्राचार्य के नियुक्ति की पत्रावली प्राप्त कर प्रमाणीकरण का पत्र कुलसचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा।

|

विश्वविद्यालय से प्रमाणीकरण प्राप्त प्राचार्यो/ शिक्षको को विश्वविद्यालय के कार्यो में प्राथमिकता दी जाएगी ।

|

एनसीटीइ में proposed staff लिस्ट अनुमोदन निर्धारित प्रारूप में वांछित योग्यताधारी शिक्षको के शपथ पत्र सहित नियमानुसार शुल्क मय जीएसटी के साथ जमा करवाना होगा| माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति जांच करेगी, जांच उपरांत स्पष्ट अनुसंशा होने पर श्रीमान कुलसचिव के हस्ताक्षर से सूची जारी की जाएगी|